

# अंतिम डिक्री बमुकदम इब्तदाइ

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 155/2023

निर्णय दिनांक :- 05.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 38 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 16/16, 17/17 में रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अरायण के स्थान पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अरायण दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 05.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर श्रीगंगानगर

दिनांक: 05.06.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/284

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

